

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4742
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जोधपुर में एम्स कर्मियों की भर्ती

4742. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों/चिकित्सा/पैरामेडिकल कर्मचारियों को किन-किन एजेंसियों से नियुक्त किया गया है और जोधपुर स्थित एम्स एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में किन-किन विभागों में इनकी तैनाती की गई है तथा विभाग, कार्मिक और एजेंसी के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एम्स, जोधपुर में नियमों का उल्लंघन कर भर्ती करने और नियोजन या आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कार्य सौंपने और वित्तीय अनियमितताएं किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): एम्स, जोधपुर ने संस्थान के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के जनशक्ति को नियुक्त किया है। संस्थागत आवश्यकताओं के आधार पर कर्मियों को विभिन्न विभागों में तैनात किया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भुगतान संबंधित अनुबंधों के लागू न्यूनतम वेतन, नियमों एवं शर्तों तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के नाम जिन्हें एम्स जोधपुर द्वारा पिछले तीन वर्षों में भुगतान किया गया तथा उन्हें किए गए भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	जनशक्ति सेवाएँ	एजेंसी का नाम	भुगतान की गई राशि (रुपए में)
1.	जनशक्ति सेवाएँ – तकनीकी कर्मचारी और अस्पताल सेवाएँ	मेसर्स इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया	110,01,18,150
2.	जनशक्ति सेवाएँ – गैर तकनीकी कर्मचारी	. मेसर्स श्री साई नाथ एसोसिएट	41,80,68,263
3.	सुरक्षा सेवाएँ	मेसर्स एसआईएस लिमिटेड	66,68,61,494
4.	हाउसकीपिंग सेवाएँ	मेसर्स डी जी नकरानी	49,49,16,285

इस संस्थान में जनशक्ति मुद्दों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर उचित कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाती है।
